



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी - मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 187 / 2018

दर्ज तिथि:- 30.07.2018

1. चेताराम पुत्र श्रीया
2. रामोतार पुत्र श्रीया
3. सरूपी पत्नि स्व० श्रीया
4. बत्तन पुत्र श्रीया
5. रेशम देवी बेवा पदम
6. निहालसिंह पुत्र पदम
7. भीमसिंह पुत्र पदम
8. सूरजभान पुत्र पदम
9. हंसराम पुत्र पदम
10. रामनाथ पुत्र पदम
11. रतनसिंह पुत्र पदम
12. बलवीर सिंह पुत्र पदम
13. केशुला बेवा नंगू
14. दिनेशचन्द्र पुत्र नंगू
15. बृहमसिंह पुत्र नंगू
16. रूमाली पुत्री नंगू
17. कमलसिंह पुत्र रामजीलाल
18. करणसिंह पुत्र किशान्या
19. गोविन्द पुत्र जवाहर सिंह
20. जनकसिंह पुत्र जवाहर सिंह
21. विष्णु पुत्र जवाहर सिंह
22. रामरती बेवा जुहार
23. विश्राम पुत्र गिर्राज
24. रत्तीराम पुत्र गिर्राज
25. ज्ञानसिंह पुत्र लक्ष्मण
26. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण
27. हरवीर पुत्र लक्ष्मण
28. सुरेश पुत्र विशम्भर
29. विक्रम पुत्र विशम्भर

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

30. हरमन्ती बेवा विशम्भर

समस्त जाति गुर्जर निवासी महवा तहसील महवा जिला दौसा

.....वादीगण

बनाम

राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित :-

वादी अधिवक्ता:- श्री भंवर सिंह

प्रतिवादी - राज0 सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

पर्या डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा- 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है कि दावा वादीगण ग्राम महवा तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 812/1017 रकबा 54 ऐयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 298 खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

महवा दौसा

Mansur
(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा